विविध बैंक प्रकरण संख्या 64/2019 (RCMS 2019/00109) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री जसबीर सिह मीलू प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर(राज.) बनाम 1. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री छतरू राम निवासी वार्ड नं. 26, नजदीक शिवबाड़ी मंदिर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर 2. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद निवासी वार्ड नं. 26, नजदीक शिवबाड़ी मंदिर, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए एवं फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिल किए गये एवं बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण जगदीश प्रसाद एवं सीता देवी को ऋण सुविधा के रूप में 6.50 लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 14.02.2017 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणियों जगदीश प्रसाद एवं सीता देवी की अचल सम्पत्ति मकान पट्टा नं. 702(क्षेत्रफल 1088 वर्गफुट) पुराना वार्ड नं. 07, नया वार्ड 26, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.12.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.12.2017 को 6,90,924/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 11.05.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया, जिसकी प्राप्ति रसीद के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी जगदीश प्रसाद एवं सीता देवी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान पट्टा नं. 702(क्षेत्रफल 1088 वर्गफुट) पुराना वार्ड नं. 07, नया वार्ड 26, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी जगदीश प्रसाद एवं सीता देवी को 6.50/—लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख पचास हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 14.02.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री जगदीश प्रसाद एवं श्रीमती सीता देवी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति मकान पट्टा नं. 702(क्षेत्रफल 1088 वर्गफुट) पुराना वार्ड नं. 07, नया वार्ड 26, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 31.12.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए. हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 11.05.2018 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए है तथा पोस्ट ऑफिस के पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.05.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 11.05.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण श्री जगदीश प्रसाद एवं श्रीमती सीतादेवी के नाम रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के पत्रों की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों श्री जगदीश प्रसाद एवं श्रीमती सीता देवी द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति मकान पट्टा नं. 702(क्षेत्रफल 1088 वर्गफुट) पुराना वार्ड नं. 07, नया वार्ड 26, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जो अप्रार्थीगण ऋणियों श्री जगदीश प्रसाद एवं श्रीमती

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सीता देवी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है,उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है परन्तु अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया गए ऋण प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2017 में उक्त बंधक सम्पत्ति का अकंन नहीं है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता कि अप्रार्थीगण ऋणियों को उक्त ऋण राशि के बदले उक्त सम्पत्ति बंधक रखी गई अथवा नहीं? इसलिए बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा– सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है प्रार्थी बैंक नये सिरे से अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर, बधंक सम्पत्ति के प्रमाण सहित प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर